

प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

[17/3/2020]

प्रश्न सं. [क. 78]

दण्ड प्रक्रिया संहिता-1973 की धारा-144 के तहत दिनांक 01 जनवरी, 2019 से दिनांक 31 जनवरी, 2020 तक जारी प्रतिबंधात्मक आदेशों का विवरण


क्र.	कारण	जावक क्रमांक	प्रभावशील अवधि
1	चायना धागा जिससे पक्षियों व आम जन को होने वाले नुकसान से बचाने हेतु चायना धागे को पतंगबाजी में उपयोग किये जाने को प्रतिबंधित किया गया	23-24 / री.ए.डी.एम. / 2019 दि. 3/1/2019	दि 03/1/19 से 28/2/19 तक
2	बाहर से आये अपराधियों से आम जन के होने वाले नुकसान को बचाने के लिये मकान मालिक, किरायेदारों एवं नौकरों व पेईंग गेस्टों की जानकारी थाने पर दिये जाने को प्रतिबंधित किया गया ।	34-35 / री.ए.डी.एम. / 2019 दि. 5/1/2019	दि 06/1/19 से 2/3/19 तक
3	आपत्तिजनक अथवा उद्वेलित करने वाली फोटो/चित्र, व साम्प्रदायिक सदभाव बिगाड़ने वाले मैसेजों आदि को सोशल साईट्स पर भेजने की गतिविधियों को प्रतिबंधित किया गया । जिससे आम आदमी को इससे होने वाले नुकसान से बचाया जा सका।	36-37 / री.ए.डी.एम. / 2019 दि. 5/1/2019	दि 06/1/19 से 2/3/19 तक
4	जनसामान्य के स्वास्थ्य, यातायात आदि में होने वाली परेशानी को रोकने हेतु बिना अनुमति रैली, जुलूस, सार्वजनिक आयोजनों को प्रतिबंधित किया गया ।	430-431 / री.ए.डी.एम. / 2019 दि. 2/3/2019	दि 03/3/19 से 30/4/19 तक
5	आपत्तिजनक अथवा उद्वेलित करने वाली फोटो/चित्र, व साम्प्रदायिक सदभाव बिगाड़ने वाले मैसेजों आदि को सोशल साईट्स पर भेजने की गतिविधियों को प्रतिबंधित किया गया । जिससे आम आदमी को इससे होने वाले नुकसान से बचाया जा सका।	19-20 / री.ए.डी.एम. / 2019 दि. 15/3/2019	दि 016/3/19 से 13/5/19 तक
6	बाहर से आये अपराधियों से आम जन के होने वाले नुकसान को बचाने के लिये मकान मालिक, किरायेदारों एवं नौकरों व पेईंग गेस्टों की जानकारी थाने पर दिये जाने को प्रतिबंधित किया गया ।	553-554 / री.ए.डी.एम. / 2019 दि. 23/3/2019	दि 024/3/19 से 21/5/19 तक
7	नशीली दवाओं के दुरुपयोग को रोकने हेतु बिना रजिस्टर्ड मेडिकल प्रेक्टिशनर के लिखित प्रिस्क्रिप्शन पर इन नशीली दवाओं के विक्रय किये जाने संबंधी प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कियो गया	570-571 / री.ए.डी.एम. / 2019 दि. 23/3/2019	दि 024/3/19 से 21/5/19 तक
8	नशीली दवाओं के दुरुपयोग को रोकने हेतु बिना रजिस्टर्ड मेडिकल प्रेक्टिशनर के लिखित प्रिस्क्रिप्शन पर इन नशीली दवाओं के विक्रय किये जाने संबंधी प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कियो गया	1047-1048 / री.ए.डी.एम. / 2019 दि. 3/6/2019	दि 04/6/19 से 2/8/19 तक
9	आपत्तिजनक अथवा उद्वेलित करने वाली फोटो/चित्र, व साम्प्रदायिक सदभाव बिगाड़ने वाले मैसेजों आदि को सोशल साईट्स पर भेजने की गतिविधियों को प्रतिबंधित किया गया । जिससे आम आदमी को इससे होने वाले नुकसान से बचाया जा सका।	1049-1050 / री.ए.डी.एम. / 2019 दि. 3/6/2019	दि 04/6/19 से 2/8/19 तक
10	जनसामान्य के स्वास्थ्य, यातायात आदि में होने वाली परेशानी को रोकने हेतु बिना अनुमति रैली, जुलूस, सार्वजनिक आयोजनों को प्रतिबंधित किया गया ।	1051-1052 / री.ए.डी.एम. / 2019 दि. 3/6/2019	दि 04/6/19 से 2/8/19 तक
11	पीओपी मूर्ति निर्माण एवं विसर्जन से होने वाले प्रदूषण की रोकथाम हेतु प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया	1447-1448 / री.ए.डी.एम. / 2019 दि. 2/8/2019	दि 03/8/19 से 30/9/19 तक
12	नशीली दवाओं के दुरुपयोग को रोकने हेतु बिना रजिस्टर्ड मेडिकल प्रेक्टिशनर के लिखित प्रिस्क्रिप्शन पर इन नशीली दवाओं के विक्रय किये जाने संबंधी प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कियो गया	1493-1494 / री.ए.डी.एम. / 2019 दि. 8/8/2019	दि 09/8/19 से 6/10/19 तक


मेहन
9 जुलाई 2020
अधिकारी
शासन
भाग

13	आपत्तिजनक अथवा उद्वेलित करने वाली फोटो/चित्र, व साम्प्रदायिक सदभाव बिगाड़ने वाले मैसेजों आदि को सोशल साईट्स पर भेजने की गतिविधियों को प्रतिबंधित किया गया। जिससे आम आदमी को इससे होने वाले नुकसान से बचाया जा सका।	1495-1496 / री.ए.डी.एम. / 2019 दि. 8/8/2019	दि 09/8/19 से 6/10/19 तक
14	जनसामान्य के स्वास्थ्य, यातायात आदि में होने वाली परेशानी को रोकने हेतु बिना अनुमति रैली, जुलूस, सार्वजनिक आयोजनों को प्रतिबंधित किया गया।	1497-1498 / री.ए.डी.एम. / 2019 दि. 8/8/2019	दि 09/8/19 से 6/10/19 तक
15	बाहर से आये अपराधियों से आम जन के होने वाले नुकसान को बचाने के लिये मकान मालिक, किरायेदारों एवं नौकरों व पेईंग गेस्टों की जानकारी थाने पर दिये जाने को प्रतिबंधित किया गया।	83-84 / री.ए.डी.एम. / 2019 दि. 8/8/2019	दि 09/8/19 से 6/10/19 तक
16	ध्वनि प्रदूषण से आम जन को होने वाले नुकसान से बचाने हेतु ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण हेतु प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया	1611-1612 / री.ए.डी.एम. / 2019 दि. 30/8/2019	दि 031/8/19 से 29/10/19 तक
17	एप बेस्ड प्लेटफार्म के माध्यम से परिवहन हेतु टेक्सी कार, औटो रिक्शा, दो पहिया वाहनों के संचालन से सामान्य रूप से संचालित आटो रिक्शा यूनियन के व्यक्तियों के मध्य आये दिन होने वाले टकराव को नियंत्रित करने हेतु प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया	1625-1626 / री.ए.डी.एम. / 2019 दि. 31/8/2019	दि 01/9/19 से 30/10/19 तक
18	आपत्तिजनक अथवा उद्वेलित करने वाली फोटो/चित्र, व साम्प्रदायिक सदभाव बिगाड़ने वाले मैसेजों आदि को सोशल साईट्स पर भेजने की गतिविधियों को प्रतिबंधित किया गया। जिससे आम आदमी को इससे होने वाले नुकसान से बचाया जा सका।	1903-1904 / री.ए.डी.एम. / 2019 दि. 7/10/2019	दि 07/10/19 से 15/10/19 तक
19	जनसामान्य के स्वास्थ्य, यातायात आदि में होने वाली परेशानी को रोकने हेतु बिना अनुमति रैली, जुलूस, सार्वजनिक आयोजनों को प्रतिबंधित किया गया।	1910-1911 / री.ए.डी.एम. / 2019 दि. 7/10/2019	दि 08/10/19 से 6/12/19 तक
20	आपत्तिजनक अथवा उद्वेलित करने वाली फोटो/चित्र, व साम्प्रदायिक सदभाव बिगाड़ने वाले मैसेजों आदि को सोशल साईट्स पर भेजने की गतिविधियों को प्रतिबंधित किया गया। जिससे आम आदमी को इससे होने वाले नुकसान से बचाया जा सका।	1942-1943 / री.ए.डी.एम. / 2019 दि. 11/10/2019	दि 012/10/19 से 9/12/19 तक
21	नशीली दवाओं के दुरुपयोग को रोकने हेतु बिना रजिस्टर्ड मेडिकल प्रेक्टिशनर के लिखित प्रिस्क्रिप्शन पर इन नशीली दवाओं के विक्रय किये जाने संबंधी प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये गया	1956-1957 / री.ए.डी.एम. / 2019 दि. 14/10/2019	दि 015/10/19 से 10/12/19 तक
22	बाहर से आये अपराधियों से आम जन के होने वाले नुकसान को बचाने के लिये मकान मालिक, किरायेदारों एवं नौकरों व पेईंग गेस्टों की जानकारी थाने पर दिये जाने को प्रतिबंधित किया गया।	112-113 / री.ए.डी.एम. / 2019 दि. 14/10/2019	दि 015/10/19 से 11/12/19 तक
23	श्रीमंत महाराजा तुकोजीराव क्लॉथ मार्केट, सीतलामाता बाजार में अग्नि दुर्घटना से रोकथाम की दृष्टि से कपड़ा मार्केट सीमा क्षेत्र में आतिशबाजी प्रतिबंधित करने संबंधी प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया।	1998-1999 / री.ए.डी.एम. / 2019 दि. 22/10/2019	दि 027/10/2019 को सांय. 06.00 से रात्रि 12.00 बजे तक
24	अवैध रूप से बिना अनुमति लगाये गये होर्डिंगों से आमजन को होने वाले नुकसान से बचाने हेतु प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया।	365-366 / री.ए.डी.एम. / 2019 दि. 07/11/2019	दि 008/11/19 से 5/1/2020 तक

अनुभाग अधिकारी
मध्य प्रदेश शासन
9-3-2020
तह विभाग

25	जनसामान्य के स्वास्थ्य, यातायात आदि में होने वाली परेशानी को रोकने हेतु बिना अनुमति रैली, जुलूस, सार्वजनिक आयोजनों को प्रतिबंधित किया गया ।	2322-2323 / री.ए.डी.एम. / 2019 दि. 10 / 12 / 2019	दि 11 / 12 / 19 से 8 / 2 / 2020 तक
26	आपत्तिजनक अथवा उद्वेलित करने वाली फोटो / चित्र, व साम्प्रदायिक सदभाव बिगाड़ने वाले मैसेजों आदि को सोशल साइट्स पर भेजने की गतिविधियों को प्रतिबंधित किया गया । जिससे आम आदमी को इससे होने वाले नुकसान से बचाया जा सका ।	2338-2339 / री.ए.डी.एम. / 2019 दि. 11 / 12 / 2019	दि 12 / 12 / 19 से 9 / 2 / 2020 तक
27	नशीली दवाओं के दुरुपयोग को रोकने हेतु बिना रजिस्टर्ड मेडिकल प्रेक्टीशनर के लिखित प्रिस्क्रिप्शन पर इन नशीली दवाओं के विक्रय किये जाने संबंधी प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये गया	2340-2341 / री.ए.डी.एम. / 2019 दि. 11 / 12 / 2019	दि 12 / 12 / 19 से 9 / 2 / 2020 तक
28	बाहर से आये अपराधियों से आम जन के होने वाले नुकसान को बचाने के लिये मकान मालिक, किरायेदारों एवं नौकरों व पेईंग गेस्टों की जानकारी थाने पर दिये जाने को प्रतिबंधित किया गया ।	2340-2341 / री.ए.डी.एम. / 2019 दि. 11 / 12 / 2019	दि 12 / 12 / 19 से 9 / 2 / 2020 तक
29	चायना धागा जिससे पक्षियों व आम जन को होने वाले नुकसान से बचाने हेतु चायना धागे को पतंगबाजी में उपयोग किये जाने को प्रतिबंधित किया गया	66-67 / री.ए.डी.एम. / 2020 दि. 13 / 1 / 2020	दि 14 / 1 / 2020 से 11 / 3 / 2020 तक
30	जनसामान्य के स्वास्थ्य, यातायात आदि में होने वाली परेशानी को रोकने हेतु बिना अनुमति रैली, जुलूस, सार्वजनिक आयोजनों को प्रतिबंधित किया गया ।	188-189 / री.ए.डी.एम. / 2020 दि. 27 / 1 / 2020	दि 28 / 1 / 2020 से 26 / 3 / 2020 तक
31	आपत्तिजनक अथवा उद्वेलित करने वाली फोटो / चित्र, व साम्प्रदायिक सदभाव बिगाड़ने वाले मैसेजों आदि को सोशल साइट्स पर भेजने की गतिविधियों को प्रतिबंधित किया गया । जिससे आम आदमी को इससे होने वाले नुकसान से बचाया जा सका ।	353-354 / री.ए.डी.एम. / 2020 दि. 20 / 2 / 2020	दि 21 / 2 / 2020 से 19 / 4 / 2020 तक
32	नशीली दवाओं के दुरुपयोग को रोकने हेतु बिना रजिस्टर्ड मेडिकल प्रेक्टीशनर के लिखित प्रिस्क्रिप्शन पर इन नशीली दवाओं के विक्रय किये जाने संबंधी प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये गया	355-356 / री.ए.डी.एम. / 2020 दि. 20 / 2 / 2020	दि 21 / 2 / 2020 से 19 / 4 / 2020 तक
33	बाहर से आये अपराधियों से आम जन के होने वाले नुकसान को बचाने के लिये मकान मालिक, किरायेदारों एवं नौकरों व पेईंग गेस्टों की जानकारी थाने पर दिये जाने को प्रतिबंधित किया गया ।	357-358 / री.ए.डी.एम. / 2020 दि. 20 / 2 / 2020	दि 21 / 2 / 2020 से 19 / 4 / 2020 तक


 अति० जिला दण्डाधिकारी,
 इन्दौर.


 9.3.2020
 अनुमान आयोग
 मध्य प्रदेश शासन
 गृह विभाग
 रा. अनुमान